न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 222/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती माडुदेवी पत्नी तुलसाराम जाति जाट निवासी अखे का धडा, (नोसर) तहसील बायतु जिला बाडमेर		1– ग्राम पंचायत नोसर जरिये सरपंच 2– मोवन पुत्र तुलसाराम 3– तोगाराम पुत्र गुमनाराम 4– चेनाराम पुत्र गुमनाराम जातियान जाट निवासीगण अखे का धडा (नोसर) तहसील बायतु जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–2–2011 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2011 अनवान श्रीमती माडुदेवी बनाम ग्राम पंचायत व अन्य मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 20–12–2017

वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अखे का धडा तहसील बायतु के खसरा नंबर 244, 382/246 एवं 246 की कुल 98.07 बीघा भूमि तुलसा, तोगा, चैना पि0 गुमना जाट के सह खातेदारी की थी । सहखातेदार तुलसा के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 301 मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना केवल एक पुत्र मोवन वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष मे ग्राम पंचायत नोसर द्वारा दिनांक 4–5–85 को स्वीकृत कर दिया । अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार तुलसा की पत्नी है, उसका नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज नही होने से उक्त नामांतरकरण संख्या 301 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–2–2012 के द्वारा मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर दी जाने पर अपीलार्थियां ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार तुलसा की पत्नी होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस जीवित होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 301 मे केवल पुत्र मोवन का नाम ही दर्ज कर बिना अपीलार्थियां को सुने पारित कर दिया था जो प्रारंभ से ही शून्य था तथा उक्त म्युटेशन की जानकारी अपीलार्थियां को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे विलंब का स्पष्ट कारण उल्लेख करने के बावजुद तथा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र का कोई लिखित अथवा मौखिक खण्डन प्रस्तुत

नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 301 जो कि विरासत का म्युटेशन था जिसको स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने मृतक के विधिक वारिसान की जांच ही नही की और न ही अपीलार्थियां को कोई नोटिस ही जारी किया जबकि वह प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस थी इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन पर पारित आदेश प्रांरभ से ही शून्य आदेश था तथा ऐसे शून्य आदेशो के विरूद्ध अपील मे मयाद का बिन्दु गोण हो जाता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ऐसे मामलो मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने कई निर्णयो मे प्रतिपादित किया है कि जो आदेश प्रारंभ से ही एब–इनिश्यो–वॉईड है, उन आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा ऐसे एब–इनिश्यो आदेशो के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलो को निरतारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्याायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–2–2011 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 301 एवं उसके आधार पर बाद मे पारित किये गये नामांतरकरणों को भी निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर हमने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 301 स्वीकृति दिनांक 4–5–85 का अवलोकन किया । अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार तुलछा की पत्नी तथा रेस्पो0 संख्या 2 मोवन की माता है तथा मृतक खातेदार तुलछा की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है, यह तथ्य सही है । परंतु खातेदार तुलछा के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि बाबत भरे गये फोतेदगी के नामांतरकरण संख्या 301 मे मृतक की पत्नी जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के नाते उसका नाम भी उक्त विरासत के नामांतरकरण मे इन्द्राज किया जाना चाहिये था परंतु उसका नाम दर्ज नही कर केवल एक पुत्र मोवन का ही नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत नोसर द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

मृतक खातेदार तुलसा की पत्नी अपीलार्थियां को उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर स्वयं ने अपने पति के खातेदारी की भूमि मे अपने अधिकारो के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त म्युटेशन संख्या 301 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही सरसरी तौर पर अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–2–2011 समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना उचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है

तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–2–2011 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 301 पर ग्राम पंचायत नोसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–85 को निरस्त कर प्रकरण सीधे तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर पुनः नये सिरे से विधि अनुसार म्युटेशन की कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर